कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 168/2014/ए.एफ.3/ 8284 **बैतूल,दिनांक 10/07/2018**

वाहन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारीयों के लिए शासकीय कार्य संपादन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए महिन्द्रा बोलेरो के समकक्ष मासिक किराए पर वाहन चालक सहित 02 वाहनों की आवश्यकता है, जिसके लिए वाहनों के किराया की मासिक दरें आमंत्रित की जाती है। निविदाकार अपने निविदा प्रपत्र पर, वांछित जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करते हुए चाहे गये दस्तावेज संलग्न करेगें, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

निविदा प्रारूप एवं निविदा शर्त वित्त शाखा कलेक्टर कार्यालय बैतूल मे दिनांक 10/07/2018 .से कार्यालयीन समय में 10:30 से दोपहर 03:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है, अथवा जिले की बेबसाइट **WWW.betul.nic.in** पर देखी जा सकती है। इच्छुक निविदाकर्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार लिफाफा पद्धति में अपनी निविदा सील बंद लिफाफे में दिनांक 27/07/2018 तक कार्यालय दिवसों में अपरान्ह 3.00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय बैतूल में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् कोई निविदा मान्य नहीं की जावेगी । अमानत राशि 10,000/—का **बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रस्तुत करते समय साथ में लेकर आवे, तथा जिला नजारत कलेक्ट्रोरेट बैतूल में जमा करें।** निविदा दिनांक 28/07/2018 को अपरान्ह 4.00 बजे अपर कलेक्टर बैतूल के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

अपर कलेक्टर
बैतूल

पृ.क्रमांक 168/2014/ए.एफ.3/ 8284 **बैतूल,दिनांक 10/07/2018**

प्रतिलिपिः—

1— सर्व कार्यालय प्रमुख जिला बैतूल की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रचार प्रसार हेतु ।
2— जिला सूचना एवं प्रकाशन अधिकारी,जिला बैतूल की सूचनार्थ ।
3— राष्ट्रिय सूचना केन्द्र **(NIC)** बैतूल की ओर जिले की बेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा शर्तो सहित प्रेषित।

अपर कलेक्टर
बैतूल

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल
(निविदा शर्ते)

क्रमांक /168/2014/ए.एफ.सी.3/ 8285   बैतूल, दिनांक 10 /07/2018

बैतूल जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारयों, को उन्हे आवंटित कार्यक्षेत्र (स्थानीय एवं कार्य क्षेत्र) में भ्रमण हेतु किराया पर दो वाहनों की आवश्यकता है। इस हेतु महिन्द्रा बुलेरो (डीजल) के समकक्ष (नॉन एसी) (वाहन की लागत सीमा अधिकतम् रू. 6.50लाख तक) 02 वाहन मासिक पर किराये से लिए जाने हेतु दरें आमंत्रित की जा रही हैं। वाहन निम्नानुसार अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और अच्छी स्थिति में होना चाहिए।

1. इच्छुक निविदादाताओं के पास वाहन स्वयं के अथवा फर्म के नाम पर पंजीकृत होना अनिवार्य हैं। फर्म/मालिक के नाम से पंजीकृत वाहन के पंजीयन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ लगायी जाना भी अनिवार्य होगा।

2. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का मॉडल तीन वर्ष अर्थात वर्ष 2015 मॉडल से अधिक पुराना न हो ओर वाहन टेक्सी कोटे के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो।

3. वाहन का अद्यतन पर्यटन /राष्ट्रीय परमिट ,वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र एवं वाहन का बीमा की वैधता अद्यतन रखने की जवाबदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी । उक्त सभी वैध सर्टिफिकेट की सत्यापित छायाप्रतियॉ निविदा के साथ प्रस्तुत की जावे ।

4.. वाहन का प्रदायकर्ता फर्म/संस्था का सेवाकर हेतु पंजीकरण होना अनिवार्य है ।

5. किराये की अवधि में कार्यालय से वाहन में केवल डीजल प्रदाय किया जावेगा। इसके अतिरिक्त वाहन की जिम्मेदारी एवं वाहन के संधारण सहित टूट–फूट, बैटरी, टायर–ट्यूब आदि पर हुये व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

6. यात्रा के दौरान सुदूर स्थानों में भी वाहन ले जाया जा सकेगा और वाहन के ड्रायवर को उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. वाहन सेल्फ स्टार्ट हो। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा टायर–ट्यूब अच्छी स्थिति में हों वाहन का माईलो मीटर हमेशा चालू हालत में रहना चाहिये। मासिक दर आधार पर प्रदत्त वाहन को प्रतिमाह एक दिवस सर्विसिंग कार्य के लिए छूट इस शर्त पर दी जाएगी की वाहन प्रदायकर्ता उस दिवस अन्य वाहन उपलब्ध कराएगा जिसका पृथक से कोई भुगतान इस कार्यालय से नहीं किया जावेगा ।

8. वाहन मय ड्रायवर के उपलब्ध कराना होगा । वाहन ड्रायवर के पास वाहन चलाने का कम से कम 3 वर्ष पुराना वैद्य ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वाहन चालक के पास मोबाईल सुविधा भी अनिवार्य रूप से हो।

9. वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा। वाहन पूर्णरूप टेक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व का हो। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त हर्जा खर्चा वहन करेगा।

10. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तर दायित्व वाहन प्रदाता को होगा एवं यदि कोई वैद्यानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।

11. उपयोग के दौरान रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में सामान्यतः दो घण्टे में वाहन सुधार कराकर उपयोग हेतु उपलब्ध कराना होगा। दो घण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा। वाहन खराब होने के स्थान से गैरिज तक लाने का दायित्व भी वाहन प्रदाता का होगा।

12. वाहन प्रदाता को तहसीलदार/आबंटित अधिकारी की मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में वाहन प्रदायकर्ता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से रूपये एक हजार प्रति दिवस अर्थदण्ड के रूप में काटा जाएगा तथा इसकी पुनरावृत्ति होने पर स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

13. यदि अनुबंध अवधि के दौरान वाहन प्रदाता वाहन प्रदाय करने से इंकार करता है, तो उसकी धराहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा वाहन प्रदाता पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

14. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा और प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. माईलो मीटर की खराबी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार ही देयक मान्य किया जावेगा।

16. वाहन के स्थानीय अथवा मुख्यालय से बाहर उपयोग की स्थिति में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नहीं होगा।

17.निविदा खुलने की दिनांक के पूर्व प्रत्येक वाहन हेतु रूपये 10000–00 का डी.डी. कलेक्टर बैतूल के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैक से प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

18. जिस भी निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होती है उसे अनुबंध करते समय प्रत्येक वाहन हेतु रूपये 10000–00 का राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) कलेक्टर बैतूल के पक्ष में पोस्ट आफिस से प्लेज्ड कराकर धरोहर राशि के रूप में इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ।

19. निविदा में निविदाकर्ता का नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।

20. निविदा स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर बैतूल का होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

21. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च, जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं व्यय करेगा।

22. वाहन चालक का कोई आपराधिक प्रकरण पुलिस रिकार्ड में दर्ज नहीं होना चाहिए ।

23. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला बैतूल के पास सुरक्षित रहेगा।

24. निविदा द्वारा मान्य दरें आगामी एक वर्ष की अवधि तक के लिये लागू रहेंगी तथा शासन के निर्देशो के अध्यधीन सेवायें संतोषप्रद होने की स्थिति में अनुबंध एक साल के लिये और बढ़ाया जा सकेगा।

25. वाहन प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक पर म0 प्र0 शासन के नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।

26. फर्म द्वारा यदि अन्य किसी विभागों में पूर्व में कार्य किया गया है तो उसका प्रमाण सहित उल्लेख किया जावें।

अपर कलेक्टर
बैतूल

प्रपत्र–1

(लिफाफा नं0 1)

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल

दर निविदा प्रपत्र

(यह पत्रक फर्म,संस्था/व्यक्ति अपने लेटर पैड पर टाइप कर अथवा सुस्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करें)

जिला बैतूल के राजस्व अधिकारियों के लिए शासकीय कार्य संपादन हेतु मासिक दर से किराये पर लिये जाने वाले (महिन्द्रा बुलेरो के समकक्ष (नॉन एसी) (वाहन की लागत सीमा अधिकतम् रू. 6.50लाख तक) डीजल चलित वाहन का पंजीयन प्रपत्र ।

1. फर्म /व्यक्ति का नाम :–. . . . .
2. फर्म/व्यक्ति का पता :– . . . .
3. दूरभाष क्रमांक :– . . . .
4. फर्म का पंजीयन क्रमांक :– . . . .
   (फोटोप्रति संलग्न करें)
5. धरोहर राशि रू0 .... मात्र के बैंक ....बैंक का नाम .... शाखा
   ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक का विवरण ....
6. फर्म /मालिक के नाम से वाहन
   (टेक्सी कोटे के ही मान्य)
   जो वर्ष 2015 के पूर्व के मॉडल न हों ।
   की सूची संलग्न करें ।
7. वाहन किराए की मासिक दर ....
8. वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र वैधता अवधि ....
9. वाहन का बीमा वैधता अवधि ....

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण सत्य प्रस्तुत की गई है । मेरे द्वारा कार्यालय कलेक्टर बैतूल की निविदा शर्ते पढ़ने व समझने के पश्चात् ही प्रपत्र पर दरें प्रस्तुत की जा रही है । वाहन निविदा हेतु निर्धारित नियम व शर्ते जो मुझे निविदा पत्रक के साथ प्राप्त हुई है उनका एवं वाहन उपलब्ध कराते समय समक्ष अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करते हुए मेरे द्वारा गुणवत्तापूर्ण वाहन उपलब्ध कराया जावेगा । किसी भी त्रुटि या लापरवाही के लिये मै /मेरी संस्था जिम्मेदार होगी जिसके लिये मुझे /संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने व मेरी /संस्था की धरोहर राशि जप्त करने का अधिकार कलेक्टर बैतूल को होगा ।

फर्म मालिक के हस्ताक्षर

पदमुद्रा सहित